भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2698
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

नए यूजीसी ड्राफ्ट विनियम

†2698. **सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किस प्रकार नये मसौदा दिशानिर्देश उच्च शिक्षा में विशेष रूप से कुलपति की भूमिका में गैर-शैक्षणिक पेशेवरों को शामिल करने के संबंध में किस प्रकार वैश्विक रुझानों के अनुरूप हैं;
(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर मसौदा विनियमों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्य सरकारों और शैक्षणिक संस्थानों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया है और यदि हां, तो इन परामर्शों के परिणाम क्या हैं; और
(ग) नये यूजीसी मसौदा विनियमों के कारण संघीय सिद्धांतों के संभावित क्षरण के संबंध में राज्य सरकारों और शैक्षिक निकायों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान है कि सभी अग्रणी पदों और संस्थानों के प्रमुखों के पदों पर उच्च शैक्षणिक योग्यता और स्थितियों का प्रबंधन करने की क्षमता के साथ-साथ विख्यात प्रशासनिक और नेतृत्व क्षमता वाले व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। किसी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) के अग्रणी व्यक्ति मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता, टीम वर्क में विश्वास, बहुलवाद, विविध लोगों के साथ काम करने की क्षमता और सकारात्मक दृष्टिकोण जैसी विशेषताओं के साथ-साथ संवैधानिक मूल्यों और संस्थान की समग्र दृष्टि के प्रति समग्र निष्ठा प्रदर्शित करेंगे।
मसौदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अकादमिक कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण के लिए उपाय) विनियम 2025 को भारत में उच्चतर

शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बदलने के विजन में सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। चार वर्षीय अवरस्नातक कार्यक्रम शुरू करके उच्चतर शिक्षा में अनुसंधान को प्राथमिकता देना, अवरस्नातक कार्यक्रमों में अनुसंधान परियोजनाएं, स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अनुसंधान घटक को सुदृढ़ करना, अनुसंधान इंटर्नशिप आदि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उच्चतर शिक्षा वैश्विक रुझानों के अनुरूप हो। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि असाधारण शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशासनिक योग्यता वाले सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति ही कुलपति की भूमिका के लिए पात्र हैं। कुलपति पद के लिए संभावित अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ाने से विविध विशेषज्ञता, नेतृत्व उत्कृष्टता और उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक दृष्टिकोण लाकर शैक्षणिक मानकों में वृद्धि की जाएगी।

कुलपति की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति में पूर्व कुलपतियों और अग्रणी संस्थानों के निदेशकों सहित प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि केवल सबसे योग्य व्यक्तियों को ही चुना गया है।

यह चयन प्रक्रिया योग्यता आधारित होती है, जिसमें अभ्यर्थियों का मूल्यांकन उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों, नेतृत्व गुणों, प्रशासनिक क्षमताओं और उच्चतर शिक्षा सुधार में योगदान के आधार पर किया जाता है।

(ख): परामर्श प्रक्रिया के भाग के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी विनियम 2025 का मसौद दिनांक 06.01.2025 को फीडबैक, सुझाव और व्यापक परामर्श के लिए सार्वजनिक डोमेन में अपलोड किया। यूजीसी को अब तक 15,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। ये फीडबैक विश्लेषण और विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग): यूजीसी मसौदा विनियम 2025 उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय मानकों और राज्य स्वायत्तता को संतुलित करके भारत के संघीय ढांचे को मजबूती से बनाए रखता है और उसे सुदृढ़ करता है। ये विनियम विभिन्न राज्यों के विविध शैक्षिक ढाँचों का सम्मान करते हुए अकादमिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इन विनियमों में कुलपति की नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति का प्रस्ताव है। चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विश्वविद्यालय की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इन सदस्यों को निष्पक्ष सांविधिक निकायों द्वारा नामित किया जाना है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, मसौदा विनियमों संबंधी प्रतिक्रिया विश्लेषण और विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में है।

*****